

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

20-21

क्र. 4477/एफ-1-165/31/एस-2/2020
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 27/10/2021

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड जैजेपुर की हसदेव बांगो परियोजना अन्तर्गत सक्ती शाखा नहर के मुरलीडीह वितरक नहर के क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग, बैंक सुदृढीकरण, टो-वॉल का निर्माण एवं मिट्टी कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-1059/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2020/10473, दिनांक 28.11.2020

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड जैजेपुर की हसदेव बांगो परियोजना अन्तर्गत सक्ती शाखा नहर के मुरलीडीह वितरक नहर के क्षतिग्रस्त सी.सी. लाईनिंग, बैंक सुदृढीकरण, टो-वॉल का निर्माण एवं मिट्टी कार्य हेतु लागत राशि रु.207.88 लाख (रुपये दो करोड़ सात लाख अट्ठासी हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई 2356 हेक्टेयर में 220 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23-जल संसाधन विभाग, लेखाशीर्ष- 4700 वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [01]- हसदेव बांगो परियोजना {800}- अन्य व्यय, 0101-राज्य आयोजना(सामान्य), (2898)-बांध तथा संलग्न कार्य #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 23.09.2021 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


27/10/2021

(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


(जल संसाधन विभाग)

पृ. क्र. 4478/एफ-1-165/31/एस-2/2020 ,

अटल नगर, दिनांक 27/10/2021

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 4 सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 8 कलेक्टर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।
 - 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 - 13 अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मण्डल, खरसिया जिला-रायगढ़ (छ.ग.)।
 - 14 कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र.06, सक्ती, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।


27/10/2021
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग